सेवा में,

09.05.2012

ek- e[; e=h

झारखंड, राँची।

विषय : झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड की सिकिदीरी जल विद्युत परियोजना (2X65 मेगावाट) की मरम्मत हेतु काफी ऊँचे दर पर कार्यादेश जारी करने तथा अनियमितता बरतने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के दो कार्यादेशों की प्रतियिां संलग्न कर रहा हूँ। दोनों ही कार्यादेश भारत सरकार के लोक उपक्रम ''भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि. (भेल)'' के पक्ष में जारी किए गए हैं। एक कार्यादेश संख्या–229/G, दिनांक 21.04.2005 को बोर्ड के तत्कालीन मुख्य अभियंता (उत्पादन) द्वारा जारी किया गया है और दूसरा आदेश संख्या–71, दिनांक 31.03.2012 को बोर्ड के वर्तमान मुख्य अभियंता (उत्पादन) द्वारा जारी किया गया है। दोनों ही कार्यादेश समान कार्य के लिए जारी किए गए हैं। परंतु दोनों के व्यय में भारी अंतर है। 21 अप्रैल, 2005 को जारी किए गए कार्यादेश में इस कार्य के लिए भेल को 59.75 लाख रुपये दिए गए हैं, जबकि 21 मार्च, 2012 को जारी किए गए कार्यादेश में इस कार्य के लिए 20.87 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

2005 में ऐसे कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 72.30 रुपये था। वर्ष 2012 में यह न्यूनतम मजदूरी दर बढ़कर 159.19 रुपये हो गया है। इस आधार पर आकलन किया जाए तो इस वर्ष इस कार्य पर करीब 1.22 करोड़ रुपये खर्च होने चाहिए थे। परंतु बिजली बोर्ड ने इस कार्य के लिए भेल को इस वर्ष 20.87 करोड़ का कार्यादेश दिया है, जो काफी अधिक प्रतीत होता है। मुझे जानकारी मिली है कि सिकिदीरी जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों ने उदारतापूर्वक इस कार्य के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार किया था, तो फिर बोर्ड द्वारा इस मद में 20.87 करोड़ रुपये का खर्च करने का क्या औचित्य है? मुझे यह भी बताया गया है कि वर्ष 2010 में यह कार्य ''टेक्नो ट्रेड, सिलीगुड़ी'' को यह काम न तो 20 लाख रुपये में बोर्ड द्वारा आवंटित किया गया था और यह कार्य इसी व्यय पर सम्पन्न भी हुआ। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बोर्ड की शर्तों एवं मान्यताओं को दरकिनार कर काफी ऊँचे दर पर भेल को कार्यादेश देना कहाँ तक उचित है?

इस बारे में आपको सूचित करने के पहले मैंने सच्चाई जानने के लिए भेल के कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी एवं भोपाल से सम्पर्क किया है और सक्षम स्तर से आवश्यक जानकारियां प्राप्त की है। जल विद्युत परियोजनाओं के जानकार कतिपय विशेषज्ञों से भी मैंने इस विषय में बात किया है। तदुपरांत मैं आश्वस्त हुआ हूँ कि झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा मार्च, 2012 में भेल को जारी किया गया कार्यादेश की दर काफी ऊँची है एवं इससे राज्य के राजस्व को काफी क्षति पहुँची है। अतः इस बारे में जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस संबंध में मैं कतिपय तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :–

1. भेल भारत सरकार का एक लोक उपक्रम है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अंतर्गत झारखंड आता है, कोलकाता में अवस्थित है। अप्रैल, 2005 में बोर्ड द्वारा भेल के इसी कार्यालय को कार्यादेश दिया गया था। परंतु मार्च, 2012 में दिया गया कार्यादेश भेल के पटना कार्यालय के माध्यम से भेल की भोपाल स्थित शाखा द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

2. भेल, भोपाल द्वारा इस कार्य हेतु एक सीमित निविदा (संख्या–PDX/MM&SC/EOI-2011/T-04) प्रकाशित की गई, जिसके आधार पर दिल्ली की एक कम्पनी–नॉर्दन पावर इलेक्ट्रिक कम्पनी–का चयन इस कार्य हेतु हुआ है। 20.87 करोड़ रुपया के कार्यादेश में से करीब 16 करोड़ रुपया इस कम्पनी को गया है और शेष राशि भेल, भोपाल के हिस्से में आई है।

3. इस बारे में कार्यादेश के साथ 35 बिन्दुओं की कार्यसूची दी गई है, जिसका समावेश भेल ने भी अपनी सीमित निविदा में किया है। आश्चर्य है कि भेल ने निविदापूर्व कार्य समझौता के लिए एम.ओ.यू. हेतु एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जो विशेषकर ऐसे क्षेत्रों के लिए कार्य समझौता हेतु जारी किया जाता है, जिसके बारे में क्षेत्र, परिस्थिति, कार्य संस्कृति, जनसम्पर्क आदि की विस्तृत जानकारी संस्था को नहीं रहती है। परंतु सिकिदीरी जल विद्युत परियोजना क्षेत्र की जानकारी भेल को पहले से अच्छी तरह है और भेल का क्षेत्रीय कार्यालय 2005 में यही कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर चुका है, तब ऐसी स्थिति में इस आशय का एम.ओ.यू. जारी करने का क्या औचित्य है?

4. जल विद्युत परियोजनाओं के रख–रखाव एवं मरम्मत के क्षेत्र में काम करने वाली 60 से अधिक संस्थायें अपने देश में है। इसके बावजूद इस कार्य हेतु भेल द्वारा सीमित निविदा प्रकाशित करना और इसमें से किसी एक का चयन कर लेना संदेह को जन्म देता है। आश्चर्य है कि करीब 21 करोड़ रुपये के निविदा में भाग लेने वाली संस्थाओं का औसत टर्न ओवर 3.50 करोड़ रुपये रखा गया है।

5. इस बारे में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने सम्पन्न किए जाने वाले विभिन्न कार्यों से संबंधित 35 बिन्दुओं का जो दायरा चिन्हित किया है और जिसे भेल ने अपने सीमित निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया है, वह घोर हास्यास्पद है। मशीन के विभिन्न पार्ट–पुर्जों को केवल खोल देने मात्र से ही 50 प्रतिशत तक का भुगतान करना सुनिश्चित कर दिया गया है।

6. आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भेल की वाराणसी शाखा द्वारा रिहंद जलाशय (पिपरी, उत्तर प्रदेश) की 50X4 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में प्रत्येक जल विद्युत इकाई की क्षमता में 5 मेगावाट यानी कुल 5x4=20 मेगावाट की वृद्धि करना भी शामिल है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा भेल, वाराणसी को प्रति इकाई 1.4 करोड़ रुपया की दर से यानी कुल 1.40x4=5.60 करोड़ रुपया का भुगतान किया जा रहा है। इस हिसाब से भी सिकिदीरी की 65x2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के सामान्य मरम्मत पर 20.87 करोड़ रुपया खर्च करना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस मद में आश्वयकता से काफी अधिक व्यय करने के कारणों का खुलासा होना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार के विद्युत बोर्ड द्वारा एक लोक उपक्रम के नाते बिना निविदा के नामांकन के आधार पर भेल को कार्यादेश संभवतः इसलिए दिया गया होगा कि इसमें अनियमितता की कोई गुंजाइश न रहे। आमतौर पर देखा जा रहा है कि लोक उपक्रम के नाते भारत सरकार की संस्थायें राज्य सरकार से नामांकन के आधार पर कार्यादेश तो प्राप्त कर लेती है, परंतु इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता का अभाव रहता है, दर काफी ऊँची रहती है, कार्य को सब–लेट कर दिया जाता है और घुमा–फिराकर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की पर्याप्त गुंजाइश कर दी जाती है।

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड और भेल दोनों ही क्रमशः राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम है। यदि इन उपक्रमों के अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य के राजस्व पर चपत लगती है और प्रक्रिया में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की बू आती है, जैसा कि इस मामले में स्पष्ट है, तो इसकी जांच राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की किसी सक्षम जांच एजेंसी से कराया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण की जांच एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कार्रवाई जनहित एवं राज्यहित में करेंगे।

सादर

भवदीय

¼lj;w jk;½